रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272542
CG-DL-E-14052026-272542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948
No. 327]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

सा.का.नि. 361(अ).—तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, तटीय पोत परिवहन (सामरिक योजना और राष्ट्रीय डेटाबेस) नियम 2026 का प्रारूप तारीख 19 दिसंबर, 2025 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपधारा (i) में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 910(अ), तारीख 19 दिसंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रारूप नियमों वाली उक्त अधिसूचना की प्रतियां उस तारीख से, जिसको प्रतियां उपलब्ध करवाई गई थी, से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उनके आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 19 दिसंबर, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 6, धारा 8 की उपधारा के खंड (ज) और उपधारा (4) तथा धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा (39) की उपधारा (1) और उपधारा(2) के खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1)** इन नियमों का **संक्षिप्त नाम** तटीय पोत परिवहन (सामरिक योजना और राष्ट्रीय डेटाबेस) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना —** (1) ये नियम निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे। —

(क) प्रत्येक पोत, जो अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भारत के तटीय समुद्र में तटवर्ती व्यापार में लगा हुआ है या लगा होने के लिए आशयित है;

(ख) अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या भारतीय जलयान के मामले में, मालिक या मास्टर या चार्टरर या प्रचालक; और

(ग) तटीय व्यापार में लगे किसी जलयान के संचालन या तटीय समुद्र में जलयान को चलाने में अंतर वलित कोई सुसंगत हितधारक, ऐसे किसी जलयान के बारे में सत्यापन या सूचना के आदान-प्रदान के प्रयोजन के लिए।

(2) इन नियमों की कोई निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी।

(क) भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल का कोई जलयान या रक्षा, सीमा शुल्क या संप्रभु प्रयोजनों के लिए नियोजित कोई जलयान; और

(ख) भारत के अंतर्देशीय समुद्र में अनन्य रूप से प्रचालित कोई जलयान।

3. **परिभाषाएँ -(1)** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "पत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन परिभाषित कोई पत्तन अभिप्रेत है;

(घ) "पोर्टल" से तटीय पोत परिवहन के राष्ट्रीय डेटाबेस के प्रचालन के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत डोमेन पर होस्ट किया गया सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है, जिसमें सभी यूजर इंटरफेस, डेटा एंट्री मॉड्यूल और उससे संबद्ध सत्यापन प्रणाली सम्मिलित हैं;

(ङ) "मार्ग" से विनिर्दिष्ट पत्तनों या टर्मिनलों के बीच तटीय समुद्रीय यात्रा का विनिर्दिष्ट मार्ग अभिप्रेत है, जिसमें मध्यवर्ती पत्तन का अस्थायी ठहराव भी सम्मिलित हैं;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियाँ अभिप्रेत है;

(छ) "सचिवालय" से इन नियमों के नियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट समिति का सचिवालय अभिप्रेत है;

(ज) "हितधारक" से कोई ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण या इकाई अभिप्रेत जो पोर्टल के अनुरक्षण या अद्यतन के प्रयोजनों के लिए जानकारी प्रदान करने, सत्यापित करने, उपयोग करने या आदान-प्रदान करने के लिए अपेक्षित है, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

   (क) प्रमुख पत्तन प्राधिकारी;

   (ख) राष्ट्र समुद्रीय बोर्ड;

   (ग) समुद्रीय सुरक्षा और प्रवर्तन अभिकरण;

   (घ) जलयान स्वामी, जलयान प्रचालक और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

   (ङ) नाविकों, मास्टर और चालक दल के सदस्य, सुसंगत सीमा तक; और

   (च) अधिनियम की धारा 9 के प्रयोजनों के लिए महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या निकाय ।

(झ) "समुद्री यात्रा" से है जलयान के प्रस्थान के पत्तन या स्थान और उसके अंतिम पत्तन या आगमन के स्थान के बीच का मार्ग अभिप्रेत है, जिसमें पत्तन के भीतर के क्रिया-कलाप भी सम्मिलित हैं; और

(ञ) "समुद्री यात्रा रिपोर्ट" से पोत की यात्रा प्रारंभ होने, यात्रा पूर्ण होने और पोत के अन्य संबंधित प्रचालनों की विशिष्टियों वाली कोई रिपोर्ट अभिप्रेत है और इसमें नियम 4 के अनुसार पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत यात्रा प्रारंभ रिपोर्ट और यात्रा पूर्णता रिपोर्ट सम्मिलित है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और इनमें परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है।

अध्याय-2

रिपोर्ट करने के संबंध में अपेक्षाएं

4. समुद्री यात्रा रिपोर्ट करने के संबंध में अपेक्षाएं - (1) तटीय व्यापार में लगे किसी भारतीय जलयान सहित प्रत्येक जलयान, अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, पोर्टल के माध्यम से समुद्री यात्रा रिपोर्ट में महानिदेशक को अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या भारतीय जलयान के मामले में, स्वामी या मास्टर या चार्टरर या प्रचालक, निम्नलिखित समुद्री यात्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:

(क) अनुसूची 1 के अनुसार, पहले पत्तन के अस्थायी ठहराव से जलयान के अनुसूचित प्रस्थान से पूर्व चौबीस घंटे के भीतर किसी समुद्री यात्रा की प्रारंभ रिपोर्ट; और

(ख) अनुसूची2 के अनुसार, अंतिम पत्तन के अस्थायी ठहराव पर पहुंचने के चौबीस घंटे के भीतर किसी समुद्री यात्रा की समापन रिपोर्ट प्रस्तुत ।

(3) उप-नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रस्तुत की गई प्रत्येक समुद्री यात्रा रिपोर्ट में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे, अर्थात्:

(क) समुद्री यात्रा के दौरान पोत परिवहन, पर्यावरण या जहाज़ी माल की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी घटना की विशिष्टियां, जिसके लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है;

(ख) समुद्री यात्रा के संबंध में अधिनियम की धारा 35 के अधीन जारी किसी निदेश या मांगी गई सूचना के अनुपालन का ब्यौरा; और

(ग) ऐसी अन्य सूचना जो अधिनियम की धारा 6 के खंड (घ) के अधीन महानिदेशक के लिए अपेक्षित हो।

(4) जहां इस नियम के अधीन प्रस्तुत किसी समुद्री यात्रा रिपोर्ट में कोई त्रुटि, चूक या मिथ्या कथन पाया जाता है, तो अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या भारतीय जलयान के मामले में, स्वामी या मास्टर या चार्टरर या प्रचालक, कोई पुनरीक्षित जलयात्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करके ऐसी त्रुटि, चूक या मिथ्या कथन का सुधार करेगा:

परंतु, ऐसी पुनरीक्षित समुद्री यात्रा रिपोर्ट-

(क) अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या भारतीय जलयान के स्वामी या मास्टर या चार्टरर या प्रचालक द्वारा ऐसी त्रुटि, चूक या मिथ्या कथन का पता चलने पर महानिदेशक को तत्काल सूचना प्रदान करने; या

(ख) महानिदेशक से ऐसी त्रुटि, चूक या मिथ्या कथन के बारे में सूचना प्राप्त करने;
की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, -

परन्तु, ऐसी पुनरीक्षित समुद्री यात्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मूल यात्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के बाद महानिदेशक की पूर्व लिखित मंजूरी हो और उसके लिए उसमें लिखित रूप में अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के बिना नहीं दी जाएगी।

5. मार्ग परिवर्तन पर समुद्री यात्रा प्रारंभ रिपोर्ट का संशोधन- जहां, समुद्री यात्रा प्रारंभ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात, प्राधिकृत मार्ग या आशयित यात्रा में कोई परिवर्तन होता है, चाहे वह मौसम, नौपरिवहन सुरक्षा, पत्तन बंद होने, प्रचालन संबंधी आवश्यकता या किसी अन्य कारण से आवश्यक हो, अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या भारतीय जलयान के मामले में, स्वामी या मास्टर या चार्टरर या प्रचालक , ऐसी घटना या मार्ग परिवर्तन को दर्शाने के लिए तत्काल पोर्टल पर संशोधित समुद्री यात्रा प्रारंभ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 3

राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना

6. कार्यनीति योजना की तैयारी, प्रकाशन और पुनरीक्षण — (1) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई कार्यनीति योजना को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की शासकीय वैबसाइट और पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।

(2) कार्यनीति योजना पब्लिक की पहुंच और हितधारक के संदर्भ के लिए उपलब्ध होगी, और केन्द्रीय सरकार इसके पश्चातवर्ती पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए टिप्पणी या सुझाव आमंत्रित कर सकेगी।

7. कार्यनीति योजना का दायरा और प्रयोजन - कार्यनीति योजना में अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (क) से खंड (छ) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी सम्मिलित होगी, अर्थात्:

(क) तटीय पोत परिवहन प्रचालनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले बाधाओं का ब्यौरा;

(ख) तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन के लिए डिजिटल और एकल-खिड़की प्लेटफार्मों के एकीकरण के लिए ढांचा;

(ग) तटवर्ती घाटों के लिए दीर्घकालिक अवसंचरना के विकास की कार्य योजना , प्रवेश संबंधी प्रसुविधाओं की उपलब्धता, टर्मिनल और मल्टीमॉडल संयोजकता; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो समिति द्वारा अवधारित की जाए।

8. समिति के कतिपय सदस्यों का नाम निर्देशन और कार्यकाल- (1) धारा 8 की उप-धारा (3) के खंड (च), खंड (छ) में निर्दिष्ट समिति के सदस्य और तटीय व्यापार, व्यापारिक और समुद्री व्यापार या समुद्री क्षेत्र के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुन: नाम निर्देशन के लिए भी पात्र होगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर में अपना त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) उप-नियम (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य को हटाया जा सकेगा, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में हो, ऐसे सदस्य ने-

(क) जिस श्रेणी के लिए वह नाम निर्दिष्ट था, उसका प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है; या

(ख) वह बिना पर्याप्त कारण के समिति की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा है; या

(ग) वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादन करने में असमर्थ है या उसने अन्यथा समिति के उद्देश्यों के लिए पूर्वाग्रह रीति से कार्य किया है।

9. रिक्तियां (1) मृत्यु, त्यागपत्र, हटाया जाना या अन्यथा के कारण समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर उसे मूल नियुक्ति के समान रीति से नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्दिष्ट सदस्य उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर ऐसे सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया गया है।

10. बैठकों का समय और स्थान (1) समिति एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार, या ऐसे अंतराल पर, जिसे अध्यक्ष आवश्यक समझे, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, बैठक करेगी;

(2) समिति की बैठकें प्रशासनिक सुविधा और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार भौतिक, आभासी या संक्रमणीय माध्यम में आयोजित की जा सकेगी।

(3) अध्यक्ष, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या कुल सदस्यों का कम से कम एक चौथाई द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, तटीय पोत परिवहन सामरिक योजना या नीति से संबंधित किसी तात्कालिक या विशेष महत्व के मामले पर विचार करने के लिए समिति की एक विशेष बैठक बुला सकेगा।

(4) प्रत्येक बैठक की सूचना, जिसमें कार्यसूची और पृष्ठभूमि पत्रों के साथ तारीख, समय और स्थान शामिल होंगे, बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले समिति के सचिवालय द्वारा परिचालित की जाएगी:

परंतु, आपात स्थिति में, अध्यक्ष बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन की किसी लघुतर सूचना अवधि अनुज्ञात कर सकेगा।

11. गणपूर्ति और प्रक्रिया- (1) बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक चौथाई से कम नहीं होगी जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक सम्मिलित होगा, अर्थात्: -

(क) अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय समुद्री मार्ग प्राधिकरण;

(ख) किसी राज्य समुद्री बोर्ड या प्रमुख पत्तनों के अतिरिक्त पत्तनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी किसी अन्य निकाय से एक प्रतिनिधि; और

(ग) या तो पोत स्वामियों या नाविकों का एक प्रतिनिधि।

(2) अध्यक्ष समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(5) समिति के विनिश्चय यथासंभव सर्वसम्मति से लिए जाएंगे।

(6) समिति की बैठकों में सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे और यदि सदस्य किसी मामले पर बहुमत तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(7) सचिवालय प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को दो दिनों के भीतर तैयार करके परिचालित करेगा, जिसे समिति द्वारा अगली बैठक में अनुमोदित किया जाएगा और उसके पश्चात केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) समिति की कोई कार्यवाही केवल सदस्यों की रिक्तियों या नाम निर्देशन किसी दोष के कारण अमान्य नहीं होगी।

(9) समिति की सभी कार्यवाही गोपनीय होगी, जब तक कि समिति द्वारा अन्यथा विनिश्चय न लिया जाए।

12. **समिति का सचिवालय -** समुद्री प्रशासन महानिदेशालय समिति के सचिवालय के तार्किक रूप में कार्य करेगा और इसके कामकाज के लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक, तकनीकी और सहायता प्रदान करेगा।

13. **नाम निर्दिष्ट सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता और बैठक फीस -** समिति के नाम निर्दिष्ट सदस्य अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट यात्रा भत्ता और बैठक फीस के हकदार होंगे।

अध्याय 4

तटीय पोत परिवहन के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए पोर्टल

14. **पोर्टल का नाम और उद्देश्य- (1)** अधिनियम की उप-धारा (1) धारा 9 में निर्दिष्ट पोर्टल को तटीय पोत परिवहन पोर्टल का राष्ट्रीय डेटाबेस कहा जाएगा।

(2) तटीय पोत परिवहन पोर्टल का राष्ट्रीय डेटाबेस, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तटीय पोत परिवहन के लिए केंद्रीय डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा।

15. **पोर्टल पर प्रकाशित की जाने वाली जानकारी - अ**धिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी के अतिरिक्त, निम्नलिखित डेटा भी पब्लिक की पहुंच के लिए उक्त पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात्:

(क) अधिनियम की धारा 6 के खंड (क) के संदर्भ में पत्तनों द्वारा संभाले गए जहाज़ी माल की मात्रा और प्रकार;

(ख) समुद्री यात्रा और जलयान सांख्यिकी, जैसे कि पूर्ण किए गए यात्राओं की संख्या, सक्रिय जलयान और औसत प्रतिवर्तनकाल;

(ग) जहाज़ी माल की वस्तु और जलयान के ध्वज के प्रकार द्वारा मूल-गंतव्य को जोड़ना।

16. **अन्य प्रशासनिक प्रणालियों के साथ एकीकरण-** पब्लिक की पहुंच के प्रयोजन के लिए, उक्त पोर्टल को अन्य सुसंगत केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत और अंतर संचालित बनाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय गति शक्ति मास्टर प्लान, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी प्रणालियों के पोर्टल भी शामिल है, जिससे व्यापक डेटा की उपलब्धता और उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित के साथ पोर्टल अंतरसंचालनीय और एकीकृत होगा

(क) सागरमाला राष्ट्रीय संभारतंत्र पोर्टल (समुद्री);

(ख) राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस);

(ग) प्रमुख पत्तन प्राधिकरणों और राज्य समुद्री बोर्डों की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी);और

(घ) निर्बाध डेटा विनिमय और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अन्य प्रणालियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) यदि उक्त पोर्टल पर रिपोर्ट किए जाने वाले डेटा को पहले से ही किसी अन्य प्रणाली या पोर्टल में किसी हितधारक द्वारा अभिलिखित किया जा रहा है, तो महानिदेशक इस पर ऐसे डेटा की उपलब्धता के लिए पोर्टल के भीतर आवश्यक एकीकरण और तुल्यकालन के निर्माण में समर्थ बनाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों के अधीन डेटा प्रविष्टि का कोई दोहराव वाला दायित्व नहीं बनाया गया है।

17. डेटा प्रस्तुतीकरण और अद्यतन प्रोटोकॉल — (1) अनुज्ञप्तिधारी और हितधारक महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सभी आवश्यक डेटा, पोर्टल या नियम 16 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अंतरसंचालित पोर्टल के माध्यम से ऐसे प्ररूपों में, जो संबंधित पोर्टल पर उपबंधित किए जाए प्रस्तुत करेंगे,

(2) पोर्टल पर सभी डेटा का निम्नलिखित रूप से अद्यतन किया जाएगा, -

(क) रिपोर्ट या अनुज्ञप्ति से संबंधित कार्रवाई जमा करने पर स्वचालित रूप से;
(ख) महानिदेशक या महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा प्रत्येक मास में एक बार;
(ग) अनुज्ञप्ति में किसी प्रकार का संशोधन या रद्द करने पर तत्काल रूप से।

(3) महानिदेशक हितधारकों द्वारा पोर्टल पर डेटा को अद्यतन करने या सत्यापित करने के लिए आवृत्ति, रूप विधान और सत्यापन प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) समुद्री यात्राओं, मार्गों और सेवाओं से संबंधित अन्य सभी डेटा के लिए, अद्यतन कम से कम महीने में एक बार किया जाएगा।

18. अन्वेक्षा और वार्षिक पुनर्विलोकन - महानिदेशक पोर्टल के प्रचालन, अनुरक्षण और निरंतर सुधार के लिए उत्तरदायी नोडल प्राधिकारी होगा और, -

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुसंगत और लागू डेटा सुरक्षा नियमों, विनियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा; और
(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से पोर्टल की समय-समय पर सुरक्षा और निष्पादन लेखा परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

[फा. सं. एसवाई-19014/182/2025-एमजी-भाग-1 (सी.एन. 379476)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

अनुसूची 1

समुद्री यात्रा प्रारंभ रिपोर्ट

[*नियम* 4(2)(क) देखें]

1. पत्तन, मार्ग और जलयान का ब्यौरा

क्षेत्र	**मान**
जलयान का नाम	
आईएमओ संख्या	
प्रस्थान का पत्तन या स्थान	.
अनुसूचित प्रस्थान की तारीख और समय	____/____/________ ____:____
आशयित मार्ग . .	अगला अस्थाई ठहराव वाला पत्तन: मध्यवर्ती पत्तन या स्थान: ________________ __________ अपतटीय क्षेत्र / लंगर / लाइटरेज बिंदु: ________________ __________
अंतिम पत्तन या गंतव्य स्थान	
अनुमानित तारीख और आगमन का समय	____/____/________ ____:____

2. जहाज़ी मार्ग/ यात्री सूचना

यात्रा की प्रकृति: [ ] माल का वहन [ ] यात्रियों का वहन [ ] दोनों

क्षेत्र	**मान**
माल / सेवाओं का एचएसएन कोड	
माल या यात्रियों की श्रेणी का ब्यौरा	
माल की मात्रा	
यात्रियों की संख्या	
पोत या लदान का पत्तन या स्थान (के स्थान)	
उतराई का पत्तन या के स्थान	

3. माल या यात्रियों के वहन से भिन्न अपतटीय प्रचालन (यदि लागू हो)

क्षेत्र	**मान**
अपतटीय संचालन या नौपरिवहन का विवरण	
प्रयोजन और अनुमानित अवधि	

4. घोषणा

मैं, घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए समुद्री यात्रा के ब्यौरे मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और तटीय पोत परिवहन (सामरिक योजना और राष्ट्रीय डेटाबेस) नियम, 2026 के नियम 3 के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं।

[ ] मास्टर [ ] अनुज्ञप्तिधारी [ ] प्रचालक [ ] स्वामी [ ] चार्टरर द्वारा प्रस्तुत:

प्रस्तुतीकरण की तारीख और समय: ________________ __________

अनुसूची 2

समुद्री यात्रा की पूर्ण होने की रिपोर्ट

[*नियम* 4 (2) (ख) देखें]

1. पत्तन, मार्ग और जलयान का ब्यौरा

क्षेत्र	**मान**
जलयान का नाम	
आईएमओ नंबर	
पत्तन या प्रस्थान के स्थान, मध्यवर्ती अस्थायी ठहराव और गंतव्य	
प्रत्येक पत्तन या स्थान पर आगमन और प्रस्थान की तारीख और समय	

2. जहाज़ी माल / यात्री का ब्यौरा

क्षेत्र	**मान**
वहन किए गए माल की मात्रा और यात्रियों का ब्यौरा और प्रकृति	
लदाई और उतराई का पत्तन	

3. अपतटीय प्रचालन

किसी अपतटीय क्षेत्र, लंगरगाह या लाइटरेज बिंदु का ब्यौरा जहां जलयान प्रचालित या नौपरिवहन किया गया था:

____

4. निदेशों का अनुपालन

अधिनियम की धारा 35 के अधीन जारी किसी भी निदेश के अनुपालन का ब्यौरा: ___________________

5. जलयान द्वारा निष्पादित की गई सेवाएं

ब्यौरा

6. उपभोग की गई सेवाएं

तटीय व्यापार में लगे जलयान द्वारा उपयोग की गई सेवाओं का ब्यौरा: _______________________

7. कोई अन्य जानकारी

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत की गई समुद्री यात्रा पूर्ण होने का ब्यौरा मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और तटीय पोत परिवहन (सामरिक योजना और राष्ट्रीय डेटाबेस) नियम, 2026 के नियम 3 के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं।

[ ] मास्टर [ ] अनुज्ञप्तिधारी [ ] प्रचालक [ ] स्वामी [ ] चार्टरर द्वारा प्रस्तुत:

प्रस्तुतीकरण की तारीख और समय: ________________ __________

अनुसूची 3

नाम निर्दिष्ट सदस्यों का यात्रा भत्ता और बैठक शुल्क

[*नियम* 13 देखें]

नाम निर्दिष्ट सदस्य

क. यात्रा भत्ता

(i) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी :

किसी सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट कोई सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी उस दर से यात्रा भत्ते का हकदार होगा जो उसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का तारीख 13 जुलाई, 2017 का का.ज्ञा. संख्या 19030 / 01 / 2017-ई के अधीन समय-समय पर पुनरीक्षित किए जाने वाले सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार्य था;

(ii) विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति:

किसी वृत्तिक क्षेत्र से नामांकित सदस्य समय-समय पर यथाप्रचलित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 11 में अधिकारियों के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ते के **समतुल्य यात्रा** भत्ते का हकदार होंगे; जिसमें व्यय विभाग का तारीख 14.09.2017 का.ज्ञा. एफ. सं. 19047/1/2016-ई.आईवी के अनुसार यात्रा, होटल या अतिथि-गृह आवास, स्थानीय परिवहन और भोजन संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति भी शामिल है;

(iii) ख्याति प्राप्त व्यक्ति:

कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य, जो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, समय-समय पर यथा प्रचलित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 14 के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ते के स**मतुल्य यात्रा** भत्ते का हकदार होंगे; जिसमें व्यय विभाग के तारीख 14.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19047/1/2016-ई.IV के अनुसार यात्रा, होटल या अतिथि गृह आवास, स्थानीय परिवहन और भोजन संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति भी शामिल है।

ख. बैठक फीस, स्थानीय मील दूरी और सामान्य शर्तें

बैठक फीस

सभी नाम निर्दिष्ट सदस्य समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों, मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार बैठक फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

स्थानीय मील दूरी

(क) एक नाम निर्दिष्ट सदस्य जो बैठक के स्थान का स्थानीय निवासी है, वह आउट-स्टेशन यात्रा के लिए टीए/डीए का हकदार नहीं होगा।

(ख) ऐसा सदस्य केवल निम्नानुसार मील दूरी भत्ते का पात्र होगा

(i) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों के लिए- सेवानिवृत्ति के समय उनकी हकदारी के अनुसार, समय-समय पर संशोधित ।

(ii) विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए - शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 338 रुपये तक के गैर-एसी टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति।

(iii) ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के लिए - शहर के भीतर यात्रा के लिए वास्तविक किराए के अनुसार एसी टैक्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति।

सामान्य शर्तें

(क) ये हकदारी केवल बैठक के स्थान के बाहर से आने वाले नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगी।

(ख) स्थानीय नाम निर्दिष्ट सदस्य केवल पैरा (ख) में दिए गए अनुसार मील दूरी भत्ते के हकदार होंगे।

(ग) इन हकदारियों से भिन्न की मांग करने वाले किसी भी प्रस्ताव को पूर्ण न्यायोचित के साथ वित्त मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(घ) ये दरें समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन के अध्यधीन होंगी।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

G.S.R. 361(E).—Whereas the draft of the Coastal Shipping (Strategy and National Database) Rules 2026, was published as required by sub-section (1) of section 39 of the Coastal Shipping Act, 2025, (20 of 2025) vide notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, vide G.S.R. 910(E), dated the 19th December, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th December, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 19th December, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (e), (f), (g), (h) and (q) of sub-section (2) of section 39 read with section 6, clause (h) of sub-sections (2) and (4) of section 8 and sub-section (1) of section 9 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement**. — (1) These rules may be called the Coastal Shipping (Strategic Plan and National Database) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. —** (1) These rules shall apply to. —

(a) every vessel, engaged or intending to engage in coasting trade within the coastal waters of India in accordance with section 3 of the Act;

(b) the licensee under the Act or in case of an Indian vessel, the owner or master or charterer or operator; and

(c) any relevant stakeholder involved in handling of a vessel engaged in coasting trade or plying of a vessel in coastal waters, for the purpose of verification or exchange of information about any such vessel.

(2) Nothing in these rules shall apply to—

(a) any vessel of the Indian Navy, Coast Guard, or any other vessel employed for defence, customs, or sovereign purposes; and

(b) any vessel operating exclusively within inland waters of India.

3. **Definitions. —** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the committee as specified under clause (a) of sub-section (3) of section 8 of the Act;

(c) "port" means a port as defined under the Indian Ports Act, 2025 (24 of 2025);

(d) "portal" means the secure electronic platform hosted on a domain authorised by the Government of India for the operation of the National Database of Coastal Shipping including all user interfaces, data entry modules, and verification systems associated therewith;

(e) "route" means the designated path of a coastal voyage between specified ports or terminals, including intermediate port calls;

(f) "Schedule" means Schedules annexed to these rules;

(g) "secretariat" means Secretariat of the committee as specified in rule 12 of these rules;

(h) "stakeholder" means any person, authority or entity that is required to provide, verify, use or exchange information for the purposes of creation, maintenance or updating of the portal, and includes—

a. Major Port Authorities;

b. State Maritime Boards;

c. maritime security and enforcement agencies;

d. vessel owners, vessel operators and their authorised representatives;

e. seafarers, masters and crew members, to the extent relevant; and

f. any other person or body authorised by the Director-General for the purposes of section 9 of the Act.

(i) "voyage" means the passage between the port or place of departure of the vessel and her final port or place of arrival, including the activities within the port; and

(j) "voyage report" means and includes a voyage commencement report and a voyage completion report submitted through the portal as per rule 4, containing particulars of commencement of voyage of vessel, voyage completion and other related operations of a vessel.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Reporting Requirements

4. **Voyage reporting requirements. —** (1) Every vessel, including an Indian vessel engaged in coasting trade shall, in accordance with section 6 of the Act, submit information related to its voyage to the Director-General in the voyage report through the portal.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the licensee under the Act or in case of an Indian vessel, the owner or master or charterer or operator, shall submit the following voyage reports, namely:–

(a) a voyage commencement report, as per Schedule I, not later than twenty-four hours prior to the scheduled departure of the vessel from first port of call; and

(b) a voyage completion report, as per Schedule II, within twenty-four hours of arrival at the last port of call.

(3) Each voyage report submitted as specified in sub-rule (2) shall also include the following, namely: —

(a) particulars of any incident affecting the safety of navigation, the environment or the cargo during the voyage, for which no information has been submitted under any provisions of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) details of compliance with any direction issued or information sought under section 35 of the Act in relation to the voyage; and

(c) such other information as the Director-General may require under clause (d) of section 6 of the Act.

(4) Where any voyage report submitted under this rule is found to contain an error, omission or misstatement, the licensee under the Act or in case of an Indian vessel, the owner or master or charterer or operator, shall rectify such error, omission or misstatement, by submitting a revised voyage report:

Provided that such revised voyage report shall be submitted within one week from the date of,—

(a) providing an immediate intimation to the Director-General upon finding out about such error, omission or misstatement by the licensee under the Act or the owner or master or charterer or operator of the Indian vessel; or

(b) receiving an intimation from the Director-General about such error, omission or misstatement being found out:

Provided further that submission of such a revised voyage report shall not be permitted after the expiry of thirty days from the date of submission of the original voyage report, without the prior written approval of the Director-General and for reasons to be recorded in writing therein.

5. **Amendment of voyage commencement report on change of route.—** Where, after submission of a voyage commencement report, there occurs any change to the authorised route or intended voyage, whether necessitated by weather, navigational safety, port closure, operational exigency or any other cause, the licensee under the Act or in case of an Indian vessel, the owner or master or charterer or operator, shall forthwith submit the amended voyage commencement report on the portal to reflect such incident or change of route.

CHAPTER III

NATIONAL COASTAL AND INLAND SHIPPING STRATEGIC PLAN

6. **Preparation, publication and revision of the strategic plan. —** (1) The Strategic Plan prepared under sub-section (1) of section 8 of the Act shall be published on the official website of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and the portal.

(2) The Strategic Plan shall be available for public access and stakeholder reference, and the Central Government may invite comments or suggestions for its subsequent revision or review.

7. **Scope and purpose of the Strategic Plan. —** The Strategic Plan shall include the following information in addition to the information specified under clauses (a) to (g) of sub-section (2) of section 8 of the Act, namely: -
   (a) details of bottlenecks affecting efficiency and competitiveness of coastal shipping operations;
   (b) framework for integration of digital and single-window platforms for coastal and inland shipping;
   (c) roadmap of long-term infrastructure development for coastal berths, availability of reception facilities, terminals and multimodal connectivity; and
   (d) any other information as may be determined by the committee.
8. **Nomination and tenure of certain members of the committee.—** (1) The members of the committee referred to in clauses (f), (g) and such other person having expertise in the field of costal trade, mercantile and marine trade or maritime sector under clause (h) of Sub-Section (3) of Section 8 as may deem necessary shall be nominated by the Central Government for a term of two years.

(2) Any member nominated under sub-rule (1), shall also be eligible for re-nomination for one additional term.

(3) A member nominated under sub-rule (1), may resign from his membership by submitting his resignation in writing under his hand, addressed to the Chairperson, and such resignation shall take effect from the date of its acceptance.

(4) Any member nominated under sub-rule (1), may be removed, if, in the opinion of the Central Government, such member, —

   (a) has ceased to represent the category for which he was nominated; or
   (b) has absented himself from three consecutive meetings of the committee without sufficient cause; or
   (c) is unable to discharge his functions effectively or has otherwise acted in a manner prejudicial to the objectives of the committee.
9. **Vacancies. —** (1) Any vacancy occurring in the membership of the committee by reason of death, resignation, removal or otherwise shall be filled by nomination in the same manner as of the original appointment.

(2) A member nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remainder of the term of the member in whose place such member is nominated.

10. **Time and place of meetings. —** (1) The committee shall meet at least twice in a calendar year, or at such intervals as the Chairperson may deem necessary, at the office of the Directorate General of Shipping or at such other place, as may be decided by the Chairperson;

(2) Meetings of the committee may be held in the physical, virtual or hybrid mode, as the Chairperson may decide, having regard to administrative convenience and exigencies of time.

(3) The Chairperson may, on his own motion or upon a written request made by not less than one-fourth of the total members, convene a special meeting of the committee to consider any matter of urgency or special importance related to coastal shipping strategy or policy.

(4) The notice of each meeting, containing, date, time and venue along with the agenda and background papers, shall be circulated by the Secretariat of the committee at least fifteen days prior to the date of the meeting:

Provided that, in case of urgency, the Chairperson may permit a shorter notice period of not less than three days prior to the date of the meeting.

11. **Quorum and procedure. —** (1) The quorum for a meeting shall not be less than one-fourth of the total members which shall include each of the following, namely: —

(a) Chairman, Inland Waterways Authority of India;
(b) one representative from any State Maritime Board or any other body responsible for the administration of ports other than major ports; and
(c) one representative of either shipowners or seafarers.

(2) The Chairperson shall preside at every meeting of the committee.

(3) In the absence of the Chairperson, a member nominated by him shall preside over the meeting.

(4) The nominated under sub-rule (3) to preside over a meeting, shall exercise all the powers and perform all the functions of the Chairperson for that meeting.

(5) Decisions of the committee shall, as far as possible, be taken by consensus.

(6) All decisions at the meetings of the committee, will be made through the majority vote of the members present and voting and in case the members cannot arrive at a majority on a matter, the Chairperson shall exercise a casting vote.

(7) The Secretariat shall prepare and circulate the minutes of each meeting within two days, which shall be approved by the committee in the next meeting, and submitted to the Central Government thereafter.

(8) No proceedings of the committee shall be invalidated solely because of vacancies or any defects in nomination of its members.

(9) All proceedings of the committee shall be confidential, unless decided otherwise by the committee.

12. **Secretariat of the committee. —** The Directorate General of Shipping shall act as the Secretariat to the committee and shall provide all administrative, technical and logistical assistance necessary for its functioning.

13. **Travelling allowance and sitting fee for nominated members. —** The nominated members of the committee shall be entitled to a travelling allowance and sitting fee as specified under Schedule III.

CHAPTER IV

PORTAL FOR THE NATIONAL DATABASE OF COASTAL SHIPPING

14. **Name and purpose of the portal. —** (1) The portal referred to in sub-section (1) section 9 of the Act shall be called the National Database of Coastal Shipping Portal.

(2) The National Database of Coastal Shipping Portal shall serve as the central data repository for coastal shipping as per the provisions of the Act.

15. **Information to be published on the portal. —** In addition to the information referred to in sub section (2) of section 9 of the Act, the following data shall also be made available on the said portal for public access, namely: -

(a) quantity and type of cargo handled by the ports in reference to clause (a) of section 6 of the Act;
(b) voyage trip and vessel statistics such as number of voyages completed, active vessels and average turnaround time;
(c) origin-destination pairs by commodity of cargo and type of flag of vessel.

16. **Integration with other administrative systems. —** (1) For the purpose of public accessibility, the said portal shall be integrated and made interoperable with other relevant central digital platforms including, the Gati Shakti National Master Plan, the portals of relevant research institutions and government systems, to ensure comprehensive data availability and utilisation.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the portal shall be interoperable and integrated with,-

(a) the Sagarmala National Logistics Portal (Marine);
(b) the National Single Window System (NSWS);
(c) Management Information Systems (MIS) and Enterprise Resource Planning (ERP) systems of Major Port Authorities and State Maritime Boards; and
(d) such other systems as may be specified by the Central Government, for ensuring seamless data exchange and coordination.

(3) In case the data required to be reported on the said portal is already being recorded by a stakeholder in any other system or portal, the Director-General shall enable building in the necessary integration and synchronisation within the portal for availability of such data on it and to ensure that no repetitive obligation of data entry is created under these rules.

17. Data submission and update protocol. — (1) Licensees and stakeholders shall submit all required data through the portal or any other interoperable portal as specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 16, to be notified by the Director-General, in such forms as shall be provisioned on the relevant portal.

(2) All data on the portal shall be updated, —

(a) automatically upon submission of reports or licence related actions;
(b) once every month by the Director-General or other relevant stakeholders specified by the Director-General;
(c) immediately upon any modification or revocation of licence.

(3) The Director-General shall specify the frequency, format, and validation procedure for updating or verifying data on the portal by the stakeholders.

(4) For all other data related to voyages, routes, and services, updates shall be made at least once a month.

18. Oversight and annual review. — The Director-General shall be the nodal authority responsible for the operation, maintenance, and continuous improvement of the portal and shall, –

(a) ensure compliance with relevant and applicable data protection rules, regulations and guidelines issued by the Ministry of Electronics and Information Technology from time to time; and
(b) arrange for periodic security and performance audits of the portal through agencies authorised for such purposes.

[F. No. SY-19014/182/2025-MG-Part(1) (C.N. 379476)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Schedule I

VOYAGE COMMENCEMENT REPORT

[*See* rule 4(2)(a)]

1. Port, Route and Vessel Details

Field	**Value**
Name of vessel	
IMO Number	
Port or Place of Departure	---------
Date & Time of Scheduled Departure	____/____/________ ____:____
Intended Route	Next port of call: ______________________ Intermediate ports or places: ______________________ Offshore areas / anchorage / lighterage points: ______________________
Final Port or Place of Destination	______________________
Estimated Date & Time of Arrival	____/____/________ ____:____

2. Cargo / Passenger Information

Nature of Voyage: [ ] Carriage of goods [ ] Carriage of passengers [ ] Both

Field	**Value**
HSN code of Goods/ Services	
Description of goods or category of passengers	______________________
Quantity of goods	______________________

Number of passengers	
Port(s) or place(s) of Loading	______________________________
Port(s) or place(s) of Unloading	______________________________

3. Offshore Operations other than carriage of goods or passengers (if applicable)

Field	**Value**
Details of offshore operation or navigation	______________________________
Purpose & estimated duration	______________________________

4. Declaration

I hereby declare that the voyage details furnished above are true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief and are submitted in accordance with rule 3 of the Coastal Shipping (Strategic Plan and National Database) Rules, 2026.

Submitted by: [ ] Master [ ] Licensee [ ] Operator [ ] Owner [ ] Charterer

Date & Time of Submission: __________________________

Schedule II

VOYAGE COMPLETION REPORT

[*See* rule 4(2)(b)]

1. Ports, Route and Vessel Details

Field	Value
Name of vessel	
IMO Number	
Ports or Places of Departure, Intermediate Calls and Destination	______________________________
Date and Time of Arrival and Departure at Each Port or Place	______________________________

2. Cargo / Passenger Details

Field	Value
Description, Quantity and Nature of Goods or Passengers Carried	______________________________
Loading and Unloading Ports	______________________________

3. Offshore Operations

Details of any offshore area, anchorage or lighterage point where the vessel operated or navigated:

____

4. Compliance with Directions

Details of compliance with any direction issued under section 35 of the Act: ______________________________

5. Services performed by vessel.

Details:

6. Services Availed

Details of services availed by the vessel engaged in coastal trade: ______________________________

7. Any Other Information

____

Declaration

I hereby declare that the voyage completion details furnished above are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief and are submitted in accordance with rule 3 of the Coastal Shipping (Strategic Plan and National Database) Rules, 2026.

Submitted by: [ ] Master [ ] Licensee [ ] Operator [ ] Owner [ ] Charterer

Date and Time of Submission: ___________________________

Schedule III

Travelling allowance and sitting fee for nominated Members

[*See* rule 13]

Nominated Members

A. Travelling allowance

(i) Retired government officials:

A retired Government official nominated as a Member shall be entitled to Travelling Allowance at the same rate as was admissible to him at the time of retirement, as revised from time to time under the Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. 19030/01/2017-E. IV dated 13th July, 2017;

(ii) Persons from various fields:

A nominated Member from any professional field shall be entitled to Travelling Allowance equivalent to that admissible to officers in **Pay Level 11** in the Pay Matrix, as prevalent from time to time; including reimbursement of travel, hotel or guest-house accommodation, local conveyance, and food expenses, as per Department of Expenditure OM F.No.19047/1/2016-E.IV dated 14.09.2017;

(iii) Eminent Personalities:

A nominated Member who is an eminent personality shall be entitled to Travelling Allowance equivalent to that admissible to officers in **Pay Level 14**, in the in the Pay Matrix as prevalent from time to time; including reimbursement of travel, hotel or guest-house accommodation, local conveyance, and food expenses, as per Department of Expenditure OM F.No.19047/1/2016-E.IV dated 14.09.2017.

B. Sitting fee, local mileage and general conditions

Sitting Fee

All nominated Members shall be entitled to receive sitting fees, in accordance with the instructions, guidelines and norms issued by the Government of India from time to time.

Local mileage

(a) A nominated Member who is a local resident of the place of a meeting shall not be entitled to TA/DA for out-station travel.

(b) Such Member shall be entitled only to mileage allowance as follows:

(i) For retired government officials – as per their entitlement at the time of retirement, revised from time to time.

(ii) For persons from various fields – reimbursement of non-AC taxi charges up to ₹338 per day for travel within the city.

(iii) For eminent personalities – reimbursement of AC taxi charges as per actuals for travel within the city.

General Conditions

(a) These entitlements shall apply only to nominated Members coming from outside the place of meeting.
(b) Local nominated Members shall be entitled only to mileage allowance as provided in paragraph B.

(c) Any proposal seeking deviation from these entitlements shall be referred to the Ministry of Finance with full justification.

(d) These rates shall be subject to revision by the Ministry of Finance from time to time.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.14 16:57:18 +05'30'